निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 129/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दीर्घ सुरेन पुत्र श्री प्रतीक सुरेन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गरीमा सुरेन पत्नी श्री प्रतीक सुरेन जाति खत्री निवासी सेवायतन हॉस्पीटल, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) ।

2 विनय सुरेन पुत्री श्री हंस डी॰ राय पत्नी श्री सुरेन शर्मा जाति खत्री निवासी ग्राम मदरामपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर हाल निवासी सेवायतन हॉस्पीटल, अजमेर रोड, जयपुर ।

3 प्रतीक सुरेन माता विनय सुरेन पिता सुरेन शर्मा जाति खत्री निवासी सेवायतन हॉस्पीटल, अजमेर रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2022 ब उनवानी दीर्घ सुरेन बनाम विनय सुरेन को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

दिनांक 11.07.2022

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 24/2022 ब उनवानी दीर्घ सुरेन बनाम विनय सुरेन दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 13.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी के चैम्बर से निकले तथा जब प्रार्थी इनको मिला तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर हमारे मिलने वाले है जिनसे हमारी बातचीत हो चुकी है और वो शीघ्र ही आपके दावे को खारिज कर देंगे व आगामी तारीख पेशी 15.06.2022 नियत की गई। दिनांक 15.06.2022 को वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये तो जानकारी हुई कि उक्त पत्रावली में दिनांक 13.06.2022 को ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰ का प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसकी जानकारी प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को नहीं दी गई एवं गुपचुप में ही उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर ले लिया गया। दिनांक 15.06.2022 को जब प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त की तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा यह कहा गया कि अभी पीठासीन अधिकारी आ रहे है, उनके आते ही उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰ के साथ उक्त दावा खारिज कर देंगे एवं शाम 4.00 बजे तक पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर द्वारा प्रार्थी का उपरोक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया जाता है तो प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा एवं अप्रार्थीगण अपने मनसूबों में कामयाब होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द करने के मनसूबों में कामयाब हो जायेंगे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। जब अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उक्त मामले को निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को भी असुविधा नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2022 ब उनवानी दीर्घ सुरेन बनाम विनय सुरेन को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हों।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) व उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर